न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–427/16

1. गोपाल लाल पुत्र स्व. मल्लाराम,
2. बाबूलाल पुत्र स्व मल्लाराम,
3. राजन्ती उर्फ राजू पत्नी स्व. श्री सीताराम,
4. धोली आयु लगभग 15 वर्ष,
5. छोटी आयु लगभग 11 वर्ष पुत्रियॉ स्व. श्री सीताराम (अपीलार्थी संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती राजन्ती उर्फ राजू पत्नी स्व. श्री सीताराम) समस्त जाति मीना, समस्त निवासी ग्राम टोडा मीणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. झूंथाराम,
3. बद्री पुत्रान मल्लाराम, समस्त जाति मीना, समस्त निवासी ग्राम टोडा मीणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. मांगी देवी पुत्री मल्लाराम पत्नी श्री भगवान सहाय, जाति मीणा, आयु 35 वर्ष निवासी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 29.09.2016 (प्रकरण संख्या 6/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प रायसर में दिनांक 16.05.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतका नारायणी पत्नी मल्लाराम की आराजी खसरा नम्बर 19/77 रकबा 10 बीघा में हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी भूमि स्थिति ग्राम गोडियाना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर को वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित करने का निवेदन किया, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वसीयत एवं मृतका नारायणी पत्नी मल्लाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त सम्पूर्ण आराजी भूमि में मृतका श्रीमती नारायणी देवी की हिस्से भूमि 1/2 भाग का मौके की कोई जांच किये बिना अपने आदेश दिनांक 29.09.2016 के द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये जो वास्तविक तथ्यों, परिस्थितियों व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा मृतका नारायणी देवी की प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत तथाकथित वसीयत सरासर अवैध, फर्जी एवं कूटरचित है जो प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिऐ व अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से नुमाईशी तैयार की गई है। उन्होने कथन किया है कि उक्त फर्जी वसीयत दिनांक 18.12.2009 को निष्पादित किया जाना बताया है तथा स्व. श्रीमती नारायणी देवी पत्नी स्व. श्री मल्लाराम मीणा की मृत्यु दिनांक 17.02.2010 को होना बताया गया, है तथा नामान्तरकरण के लिए वसीयत को दिनांक 04.06.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यदि स्व. श्रीमती नारायणी देवी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक में किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित की जाती तो वे पूर्व में ही वसीयत के बाबत ग्राम के मौजिज व्यक्तियों, सरपंच, रिश्तेदारो इत्यादि को बताते लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने उक्त तथाकथित वसीयत को लगभग 6 वर्षो तक छिपाये रखा तथा प्रकट नही किया व ना ही इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की तथा ना ही उक्त वसीयत की प्रोबेट हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई जिसका कोई युक्तियुक्त कारणी भी प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वसीयत कूटरचना कर फर्जकारी करते हुये नुमाईशी रूप से स्व. श्रीमती नारायणी देवी की मृत्यु के पश्चात् तैयार की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय से साज कर उक्त आलौच्य आदेश पारित करवाया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया ह कि अपीलार्थी संख्या 3, 4 व 5 जो कि मृतका श्रीमती नारायणी देवी के स्वर्गवासी पुत्र श्री सीताराम के विधिक वारिसान है जिनको प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हाने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 पर चस्पानगी द्वारा तामिल मानते हुए उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जबकि यहॉ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा तामिल कुलिन्दा से साज कर उक्त झूंठी रिपोर्ट बिना मौके पर गये ही करवाई गई है जिससे अपीलार्थीगण को प्रत्यथी संख्या 2 व 3 द्वारा की जा रही कार्यवाही का कोई ज्ञान नही हो सका, सरपंच ग्राम पंचायत टोडा मीणा की तामिल भी तामिल कुलिन्दा से साज कर चस्पानगी द्वारा तामिल होना माना गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध तामिल कुलिन्दा से साज कर तामिल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की पूर्णतया अनदेखी करते हुये उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 को अपीलार्थीगण के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रथम तो अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उन पर सम्यक् रूप से तामिल नही हुए है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है द्वितीय नारायणी देवी के पुत्र सीताराम की मृत्यु होने का जिक्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है ऐसी स्थिति में जब नारायणी देवी के पुत्र सीताराम की मृत्यु होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ गया है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक सीताराम के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उन्हे साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2016 पारित किया गया है जिसे विधिक तौर पर उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर